भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1105

उत्तर देने की तारीख- 31/07/2024

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

1105 श्रीमती महुआ माजी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत छात्रों को वितरित की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्त वर्ष 23-24 के लिए झारखंड के कितने छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार पूर्वी भारत की जनजातीय आबादी के छात्रों के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): प्रत्येक चयन वर्ष में राष्ट्रीय समुद्रपारीय (विदेशी) छात्रवृत्ति के अंतर्गत 20 स्थान उपलब्ध हैं। पिछले तीन चयन वर्षों के दौरान जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय (विदेशी) छात्रवृत्ति के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	**चयन वर्ष 2021-22**		**चयन वर्ष 2022-23**		**चयन वर्ष 2023-24**	
	चयनित	**शामिल हुए**	**चयनित**	**शामिल हुए**	**चयनित**	**शामिल हुए**
आंध्र प्रदेश	2	1			1	
अरुणाचल प्रदेश					2	2

असम						
छत्तीसगढ़	1	1				
गुजरात			1	1		
गोवा						
जम्मू एवं कश्मीर	1	1	1	1		
झारखंड	1	1	1	1		
कर्नाटक			1	1		
लद्दाख			1	1		
मध्य प्रदेश			1	1		
महाराष्ट्र			2	2	1	
मणिपुर	6	5	5	5	4	1
मेघालय	2				2	2
मिजोरम	2	2			1	
नागालैंड	2	2			1	1
ओडिशा			2	1		
राजस्थान	1				1	
तमिलनाडु					1	
तेलंगाना	1	1	3	3	6	5
त्रिपुरा	1					
उत्तराखंड						
पश्चिम बंगाल			2	1		
कुल योग	**20**	**14**	**20**	**18**	**20**	**11**

अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को पुरस्कार (छात्रवृत्ति) पत्र के संसूचना की तिथि से 2 वर्षों के भीतर विदेश में शीर्ष 1,000 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों (क्यूएस विश्व रैंकिंग के अनुसार) में से किसी एक में प्रवेश प्राप्त करना होगा और उसमें शामिल होना होगा। यदि चयनित उम्मीदवार चयन के संसूचना की तिथि से 2 वर्षों के भीतर विदेश में शीर्ष 1,000 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में से किसी एक में प्रवेश प्राप्त नहीं करते हैं और उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो ऐसी खाली सीटें ऐसी समयावधि की समाप्ति के तुरंत बाद अगले चयन वर्ष में ले जाई जाएँगी।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय (विदेशी) छात्रवृत्ति के अंतर्गत व्यय का विवरण निम्नानुसार है: -

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई निधियां (करोड़ में)**
2021-22	4.95
2022-23	4.00
2023-24	7.00

नोट: एनओएस योजना के तहत प्रतिपूर्ति के आधार पर विदेश मंत्रालय को निधि जारी की जाती है। निधियों की कोई राज्य-वार निर्मुक्ति नहीं है।

(ग): चयन वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड से किसी भी छात्र का चयन नहीं किया गया है।

(घ) और (ड.): जी हाँ, महोदय। मंत्रालय भारत के पूर्वी भागों सहित पूरे देश में जनजातीय आबादी के छात्रों के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है।

(i) मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (लिंक https://tribal.nic.in/downloads/scholarship/NOS/advertisementenglishnHindi.pdf) पर विज्ञापन प्रकाशित करता है।

(ii) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विज्ञापन के बारे में सूचित किया जाता है और जिसमें उनसे राज्य स्तर पर जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत सभी शीर्ष श्रेणी के संस्थानों और "अजजा (एसटी) छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) (एनएफएसटी)" और विश्वविद्यालयों के सभी लाभार्थियों को विज्ञापन के बारे में सूचित किया जाता है ताकि जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

*****